कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांक:भ–9 /जे0डी0/फा0स0/लखनऊ–14(2)/ 114 दिनांक: 15-5- 2016,

सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण ,
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स शुभ एडवाइजर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–31, सेक्टर–नालेज पार्क–5, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित आई0टी0 /आई0टी0ई0एस0 भवन के निर्माण हेतु संशोधित मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु संशोधित प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र का निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडी:2016/20877/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/4997/जे0डी0

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए संशोधित प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशगन अधिकारी ईकोटेक–03 ग्रेटर नौएडा से कराया गया तथा उनकी संस्तुति आख्या दिनांकः 29–04–2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई गई तथा उनकी संस्तुति आख्याओ एवं मानचित्रों का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत हैः–

प्रश्नगत भवन को पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरणः– प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांकः मार्च वर्ष 2014 के द्वारा प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। तथा वर्तमान मे आंशिक संशोधन के उपरान्त संशोधित एरिया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

कुल प्लाट एरिया–40,500.00 वर्ग मी0 है।

कमांक	नाम ब्लाक	तलो की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	स्टेयर की संख्या व चौडाई मीटर मे	ऊँचाई मीटर मे
1	टावर–1, (आई0टी0 ब्लाक)	02बी+जी+16	2178.163	1885.482	06 अदद–1.50	63.25
2	टावर–2, (आई0टी0 ब्लाक)	02बी+जी+11	1393.576	1065.42		45.25
3	टावर–3, (आई0टी0 ब्लाक)	बी+जी+17	1662.199	1251.20	03 अदद–1.50	60.95
4	टावर–4, (आई0टी0 ब्लाक)	बी+जी+18	739.546	661.55	03/2 अदद–1.50	61.15
5	टावर–5, (आवासीय)	एस+10	376.917	344.969	02 अदद–1.50	34.05
6	विलाज–टाइप–1(94.80 वर्ग गज)	एस+2 (कुल–12)	1321.193	1151.793	01अदद–1.00	09.50
7	विलाज–टाइप–2(107.00 वर्ग गज)	एस+2(कुल–18)	1009.702	1168.475	01अदद–1.00	09.50
8	विलाज–टाइप–3(135.00 वर्ग गज)	एस+2(कुल–24)	1066.958	1066.958	01अदद–1.00	09.50
9	विलाज–टाइप–4(150.00 वर्ग गज)	एस+2(कुल–28)	901.844	901.936	01अदद–1.00	09.50

बेसमेन्ट एरिया– प्रश्नगत प्रस्तावित भवन का बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया–13835.125 वर्ग मी0 एवं बेसमेन्ट द्वितीय एरिया–12,733.813 वर्ग मी0 है।

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग कार्यालय एवं आवासीय (एन0बी0सी–2005 की श्रेणी ई व ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुॅच मार्गः– भूखण्ड के सामने व पीछे मानचित्रों मे रोड की चौडाई 60 एवं 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2–सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–

ए0–अग्रभाग–25.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–09.00 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–09.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भवन के सैटबेक भवन विनियमावली 2010 मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

(जे0 के0 राठ) 15/5
संयुक्त निदेशक फा0 स0
उ0 प्र0 लखनऊ

4– **निकास मार्गः–** प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक मे प्रस्तावित स्टेयरकेश की चौडाई तालिका के अनुसार है बेसमेन्ट मे 04 अदद अतिरिक्त रैम्प प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम निष्क्रमण अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5– **रिफ्यूज एरियाः–** भवन मे रिफ्यूज एरिया का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार किया गया है सर्विस अपार्टमेन्ट मे बालकनी का प्राविधान किया है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः– नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

1–भूमिगत टैंकः– प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु 02 अदद भूमिगत टैंक प्रत्येक 2,00,000 दो लाख ली0, क्षमता के एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

2–पम्प– प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 02 अदद मेन पम्प 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के विद्युत चालित पम्प, एक अदद डीजल चालित पम्प 2280 एल0पीएम0 क्षमता, तथा 02 जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0, क्षमता स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है जिनका हैड भवन की ऊँचाई के अनुसार होना अनिवार्य होगा।

3–होजरील एवं डाउनकामरः– प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर/ ब्लाक मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान बी0आई0एस0–3844 के अनुसार वॉच्छनीय है।

4–डाउनकामरः– प्रस्तावित भवन मे डाउनकामर एन0बी0सी0 एवं बी0आई0एस0–3844 के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–वेटराइजरः– प्रस्तावित भवनों मे वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–यार्ड हाईड्रेण्टसः– प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाईड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप तथा फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– सभी भवनों मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार किया जाना वॉच्छनीय है।

8–ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन मे आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार किया जाना वॉच्छनीय है।

9–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 के अनुसार किया गया वॉछनीय है।

10–टेरिस टैंकः– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 20,000 ली0, किया जाना वॉच्छनीय है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)ः– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानको के अनुरूप है।

13–कम्पार्टमेन्टेशनः– कामर्शियल भवन एवं बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–पी0ए0 सिस्टमः– प्रश्नगत मे इण्टीग्रटिड बिल्डिंग मैनेजमेन्ट सिस्टम प्रस्तावित है, परन्तु लोकल इण्टरकाम की व्यवस्था की अलग से की जानी

16–प्रशिक्षित स्टॉफः– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है, एवे कन्ट्रोल रूम बनाया जायें।

17–वैकल्पिक विद्युत व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है। सभी आपातकालीन व्यवस्थाऐं जैसे स्मोक एक्स्ट्रेंक्शन डक्ट, लिफट केबल, एवं फायर पम्प आदि के केबल फायर प्रूफ यू0एल0 लिस्टिड प्रोडक्ट होगे।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर मैसर्स शुभ एडवाइजर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–31, सेक्टर–नालेज पार्क–5, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित आई0टी0/आई0टी0ई0एस0 भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी इकाटेक–3, ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–मैसर्स शुभ एडवाइजर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लाट न0–31, सेक्टर–नालेज पार्क–5, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।